

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 105 / 2022 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी - मुथूट  
होमफिन (इण्डिया) लि०, शाखा  
कार्यालय 4 फ्लोर, यूनिट नंबर  
401 से 404, चौथी मंजिल,  
लुहाड़िया टावर, अशोक मार्ग,  
सी-स्कीम, जयपुर

उनवान

बनाम

1. श्री रामेश्वर लाल वैष्णव पुत्र हीरा लाल वैष्णव निवासी लांगरो का खेडा, धुवाला जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती पारसी पत्नि रामेश्वर लाल वैष्णव निवासी लांगरो का खेडा, धुवाला जिला भीलवाड़ा।
3. हीरा दास साधु पुत्र हेम दास साधु निवासी लांगरो का खेडा, धुवाला जिला भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी- श्री दीपक भटानी।



निर्णय

दिनांक : 17.10.2022

प्राधिकृत अधिकारी, मुथूट होमफिन (इण्डिया) लि०, शाखा कार्यालय यूनिट नंबर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाड़िया टावर, अशोक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 5,22,045/- रुपये का ऋण दिनांक 31.12.2017 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पत्ति - हीरा दास साधु पुत्र हेम दास वैष्णव, अचल सम्पत्ति पता-पट्टा नं. 21, ग्राम लांगरो का खेडा, ग्राम पंचायत धुवाला, पंचायत समिति माण्डल, जिला भीलवाड़ा जो कि दिनांक 13.09.2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 35 में पृष्ठ संख्या 115 क्रम संख्या 201703033101461 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 141 के पृष्ठ संख्या 57 से 66 पर चरपा किया गया (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 31.03.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 5,39,628/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 24.02.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार, माण्डल को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(आशीष मोदी)  
जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा  
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
भीलवाड़ा